

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ प्रमंडल, भागलपुर

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- भवदीय झापांक-2260/सा0 भागलपुर दिनांक-30.05.2022 एवं मुख्य अभियंता सीमांचल
उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-855 दिनांक-20.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में PTRO/AKS/LOI/096 दिनांक-
04.02.2020 द्वारा नया रिटेल आउटलेट खोलने हेतु चेकलिस्ट, नक्शा एवं अन्य कागजात प्राप्त हुआ
था, जो मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक- 855 दिनांक-
20.07.2022 द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा (05) साल के लिए
एकरारनामा (छायाप्रति संलग्न) कर लिया गया है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि अपने स्तर से अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की
दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेंगे।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



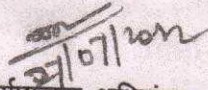
कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर।

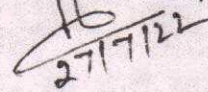
झापांक- 1470 (अनु0)

दिनांक- 27.07.2022

प्रतिलिपि:- श्री मैदु कुमार, पिता- श्री भेदी यादव, ग्राम-बसंतपुर, पोस्ट+थाना-अकबरनगर,
जिला-भागलपुर, बिहार, पिन नं0-813223 को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।


कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर।


27/7/22



बिहार BIHAR

27 MAY 2022

कोषाकार पदमधिकारी
भागलपुर

Ex-Exe Executive Engineer. KCD Rod 868068
29-5-22
4000-
Division Bhagalpur
मुहरी प्रसाद यादव
मुद्रांक विक्रेता
ला० न०-19187-९९
कार्ट कम्पाउण्ड भागलपुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु एकरारनामा

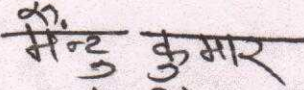
मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-855 दिनांक-20.07.2022 के आलोक में अकबरनगर-अमरपुर पथ (SH-85) पर प्रस्तावित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०, पटना का नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु श्री मैटु कुमार, पिता- श्री भेदी यादव, ग्राम-बसंतपुर, पोस्ट+थाना-अकबरनगर, जिला-भागलपुर, बिहार, पिन नं०-813223 को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है:-

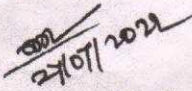
1. यह कि भविष्य में आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

मैटु कुमार

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर

2. पेट्रोल पम्प की स्थापना अनुमोदित नक्शा के अनुरूप करना होगा।
3. पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-4770 (ई) दिनांक-24.08.2017 के कंडिका-6 एवं विभागीय संकल्प संख्या-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 के अनुपालन के आलोक में कैलेंडर वर्ष 2023 में राशि 15,815.00, कैलेंडर वर्ष 2024 में राशि 16,606.00, कैलेंडर वर्ष 2025 में राशि 17,436.00, कैलेंडर वर्ष 2026 में राशि 18,308.00 एवं कैलेंडर वर्ष 2027 में राशि 19,224.00 रु0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, भागलपुर के नाम से भारतीय स्टेट बैंक के भागलपुर शाखा में भुगतये हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
4. पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व अर्थात् दिसम्बर 2027 से चार माह पूर्व प्रमंडल कार्यालय में नवीकरण के अवेदन के साथ राशि 10000.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, भागलपुर के नाम से बनवाकर नवीकरण करा लेना अनिवार्य होगा। ससमय लाईसेंस नवीकरण नहीं कराने पर प्रतिमाह दण्ड स्वरूप राशि 5000.00 रु0 वसूली किया जाएगा।


आउटलेट रिटेलर
का हस्ताक्षर


कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर